

महत्वपूर्ण  
संख्या-323 / एक-11-2021

प्रेषक,

रेणुका कुमार,  
अपर मुख्य सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

**राजस्व अनुभाग-11**

विषय—कोविड-19 की द्वितीय लहर के दृष्टिगत ट्रेनों/बसों एवं अन्य माध्यम से आने वाले कामगारों/श्रमिकों/प्रवासियों की स्कीनिंग एवं ग्राम निगरानी समितियों के माध्यम से निगरानी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि कोविड-19 की द्वितीय लहर के संकरण के दृष्टिगत काफी संख्यां में मजदूर/श्रमिक/कामगार व अन्य व्यक्ति देश के विभिन्न राज्यों/प्रदेश के विभिन्न जनपदों से ट्रेनों/बसों एवं अन्य माध्यम से अपने मूल निवास स्थान/गांव में पहुंच रहे हैं। उक्त के दृष्टिगत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-698 / 2021-सी0एक्स-3 दिनांक 13.04.2021 द्वारा प्रवासी व्यक्तियों के लिये प्रत्येक जनपद मुख्यालय स्तर पर तथा ग्राम पंचायत स्तर पर क्वारंटाइन सेन्टर स्थापित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के उक्त निर्देश के अनुपालन में राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-309 / एक-11-2021-198 / 2020, दिनांक 15.04.2021 द्वारा ऐसे मजदूरों/ श्रमिकों/कामगारों की स्कीनिंग करते हुये उन्हें अस्थायी आश्रय स्थल/क्वारंटाइन स्कीनिंग कैम्प में रखे जाने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान के नेतृत्व में ग्राम निगरानी समिति द्वारा तथा शहरी क्षेत्रों में सम्बन्धित सभासद के नेतृत्व में मोहल्ला निगरानी समितियों के माध्यम से निगरानी किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

**3. प्रवासी व्यक्तियों की स्कीनिंग:-** क्वारंटाइन सेन्टर में प्रवासियों को रखे जाने के सम्बन्ध में चिकित्सा अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या-705 / पांच-5-2021, दिनांक 14.04.2021 द्वारा प्रोटोकाल का निर्धारण किया गया है जिसके अन्तर्गत प्रवासियों के आगमन के पश्चात् जिला प्रशासन द्वारा उनकी स्कीनिंग कराये जाने, स्कीनिंग कराने पर किसी भी प्रकार के लक्षण पाये जाने पर, इन्हें क्वारंटाइन में रखे जाने तथा जांच के पश्चात् यदि वह संक्रमित पाया जाता है तो उसे यथावश्यक कोविड अस्पताल या घर पर आइसोलेट किये जाने के निर्देश है। जो लक्षण वाले व्यक्ति संक्रमित नहीं पाये जाते हैं उन्हें 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में भेजे जाने एवं लक्षणविहीन व्यक्ति को 07 दिवस तक होम क्वारंटाइन में रहने के निर्देश है।

4. **लेखपाल को ग्राम निगरानी समिति का सदस्य बनाया जाना:-** इस सम्बन्ध में समीक्षा से यह परिलक्षित हुआ है कि विभिन्न राज्यों/प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आ रहे व्यक्ति अपने मूल निवास स्थान/गांव पहुंच रहे हैं। इनमें से अधिकांश व्यक्ति स्कीनिंग के

उपरान्त होम आइसोलेट/क्वारंटाइन किये जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण फैलने की आशंका बनी रहती है, अतः लक्षणयुक्त व्यक्तियों पर विशेष सतर्कता/निगरानी रखे जाने की आवश्यकता है। अतः उक्त के दृष्टिगत निर्णय लिया गया है कि क्षेत्रीय लेखपाल भी ग्राम निगरानी समिति का सदस्य होगा। लेखपाल, प्रवासियों का नाम ग्राम निगरानी समिति से प्राप्त करेंगे एवं स्वयं भी सम्पर्क कर प्राप्त करेंगे।

**5. प्रवासी व्यक्तियों की स्कीनिंग एवं आवश्यक क्वारंटाइन की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाना:-** आप अवगत हैं कि शासन के पत्र संख्या-179 / सी0एम0 (आर) / 2021 दिनांक 02.05.2021 द्वारा कोविड महामारी की द्वितीय लहर के विरुद्ध अभियान को और प्रभावी बनाने की दृष्टि से प्रदेश स्तर पर गठित टीम-9 की तरह जनपद स्तर पर भी अलग-अलग कार्यों हेतु टीम-9 का गठन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जनपद स्तर पर गठित टीम-9 में “प्रवासी व्यक्तियों की स्कीनिंग एवं आवश्यक क्वारंटाइन की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु” भी एक टीम गठित की जाय तथा इस टीम के नोडल अधिकारी नामित किया जाय तथा नामित अधिकारी का नाम, पदनाम, दूरभाष नम्बर एवं ई-मेल आईडी का विवरण राहत आयुक्त के ईमेल आईडी- [rahat@nic.in](mailto:rahat@nic.in) पर तत्काल उपलब्ध कराया जाये।

**6. गावों में लौट रहे प्रवासी व्यक्तियों का विवरण तलसीलों से प्रतिदिन राहत की वेबसाइट में दर्ज कराया जाना:-** दिनांक 01 अप्रैल, 2021 के उपरान्त विभिन्न राज्यों/जनपदों से गावों में आ रहे व्यक्तियों का डाटा एकत्र करने हेतु [rahat.up.nic.in](http://rahat.up.nic.in) वेबसाइट में जनपद के लॉगिन पर उपलब्ध प्रपत्रों पर डाटा फीड किया जायेगा। दैनिक स्कीनिंग एवं होम क्वारंटाइन में भेजे गये व्यक्तियों का डाटा तलसीलों से प्रतिदिन राहत की वेबसाइट पर अपलोड कराने का दायित्व नामित नोडल अधिकारी का होगा तथा वेबसाइट पर उपलब्ध दैनिक स्कीनिंग संबंधी प्रथम प्रारूप, जिसमें जनपद स्तर का समेकित डाटा भरा जाना है, उसे नोडल अधिकारी द्वारा स्वयं भरा जायेगा। इसके अतिरिक्त क्वारंटाइन सेण्टर में निवास कर रहे व्यक्तियों व होम क्वारंटाइन हुए व्यक्तियों के अन्य सभी प्रारूपों पर डाटा इन्ट्री संबंधित लेखपाल द्वारा प्रतिदिन (गत दिवस में आये सभी व्यक्तियों की डाटा इन्ट्री अगले दिवस में मध्याह्न 12 बजे तक) की जायेगी। डाटा इन्ट्री हेतु अतिरिक्त मानव संसाधन/कम्प्यूटर डाटा इन्ट्री आपरेटर की आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आउटसोर्स के माध्यम से रखा जा सकता है तथा इस पर व्यय होने वाली धनराशि का वहन पूर्व में जनपदों को उपलब्ध करायी गयी धनराशि से किया जायेगा।

**7. स्कीनिंग टीम को कोविड-19 से बचाव हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना:-** जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्कीनिंग एवं आवश्यक क्वारंटाइन की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु लेखपाल व अन्य राजस्व कर्मियों की टीम को कोविड-19 से बचाव हेतु ग्लब्स, डबल मास्क, सैनिटाइजर अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहे। लेखपाल द्वारा मुख्य रूप से प्रवासियों के कोविड लक्षण हेतु सर्विलांस टीम द्वारा संक्रमित व्यक्तियों की चेकिंग, टेस्टिंग तथा उनको मेडिकल किट/दवा आदि उपलब्ध कराने की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। लेखपाल गांव की सर्विलांस टीम (आशा, ए.एन.एम) एवं ग्राम निगरानी समिति के साथ प्रतिदिन सम्पर्क में रहेंगे।

8. **Skill Mapping**:- विगत वर्ष की भांति प्रवासियों की Skill Mapping भी की जानी है अतः उपरोक्त प्रारूपों में Skill संबंधी विवरण भी अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाय।

9. **प्रवासियों का सम्पूर्ण विवरण**:- नोडल अधिकारी, लेखपाल के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रवासियों के डाटा की फीडिंग यथा—नाम, आईडी०० नंबर, मोबाइल न० व पता आदि त्रुटिरहित सही सही अनिवार्य रूप से भरा जाय ताकि इन व्यक्तियों के संबंध में राहत हेल्पलाइन तथा सी०एम० हेल्पलाइन से कास चेकिंग करायी जा सके। यथासंभव आधार कार्ड ही प्राप्त किया जाये, आधार कार्ड न होने की स्थिति में अन्य किसी वैध आईडी०० यथा—मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इत्यादि को इस हेतु प्रयोग में लाया जायेगा।

10— नोडल अधिकारियों द्वारा उपरोक्त निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए तहसीलों में उपजिलाधिकारियों से अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

10. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए प्रवासियों की समेकित सूचना (जनपद/ तहसील/ ग्राम स्तर) राहत आयुक्त कार्यालय की बैवसाइट [rahat.up.nic.in](http://rahat.up.nic.in) पर अनिवार्य रूप से प्रतिदिन फीड कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

५०५।८।१।  
( रेणुका कुमार )

अपर मुख्य सचिव।

संख्या—323(1)/एक—11—2021, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्य मंत्री, उ०प्र० शासन।
- 2— स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 3— अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र० शासन।
- 4— अपर मुख्य सचिव, सूचना, उ०प्र० शासन।
- 5— अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ०प्र०।
- 6— समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 7— निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उ०प्र०।
- 8— अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ।
- 9— राजस्व अनुभाग—१०/गार्ड फाईल।
- 10— अनुभाग अधिकारी, राजस्व—११ को मंगल फांट में [shasnadesh.up.gov.in](http://shasnadesh.up.gov.in) पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

१  
( राम केवल )  
विशेष सचिव।